m No. 385 (P)

IPT FOR PAYMENT TO GOVERNMENT

No. 1, Chapter III, Paragraph 26, Financial Hand- book Volume V, Part I)

Receipt No. A 03/01/2011

Date 392219

ent and Office

ed from डेविड सिंह होम्स

of Rupees

unt of 500/-

Signature of Government Servant granting the receipt.

or Accountant. Designation

सेवा में,

श्रीमान् उपनिबन्धक महोदय,

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

12ए/339 आ0वि0कालोनी सिकन्दरा योजना

आगरा

विषय – फर्म के पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र ओम सिद्धि सिद्धि सेल्स, 71 कृष्णधाम फेस-1 कमलानगर आगरा

महोदय,

निवेदन करना है कि प्रार्थी अपनी फर्म के पंजीकरण हेतु आपके कार्यालय में एक प्रति में फार्म नं0–1, शपथ पत्र, पार्टनर शिप डीड व निर्धारित शुल्क 500/– रू.0 व एड्रेस सत्यापन हेतु प्रपत्रों के साथ जमा कर रहा हॅ ।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि उक्त फर्म के पंजीकरण प्रपत्रों का अवलोकन कर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की कृपा करें ।

आपकी अति कृपा होगी ।

03/8/2011

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
आगरा मण्डल आगरा

दिनांक – 03-09-11

प्रार्थी

संदीप मिश्रा

( संदीप मिश्रा )

साझेदार

फार्म नं. – 1

फर्म का विवरण पत्र जैसा कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 58–1 के अन्तर्गत देय विवरण –

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | फर्म का नाम | – | मै0 रिद्धि–सिद्धि होम्स |
| 2. | फर्म का मुख्य पता जहॉ पर व्यवसाय करेगी | – | 71 ब्रज धाम, फेस–1, कमला नगर आगरा |
| 3. | अन्य स्थान का पता जहॉ फर्म व्यवसाय करती है | – | कोई नहीं |
| 4. | साझेदारी की तिथि | – | 02–09–2011 (दो सितम्बर दो हजार ग्यारह ) |
| 5. | साझेदारों के नाम, पिता/पति का नाम स्थायी पता व आयु | – | 1– श्री संदीप मिश्रा पुत्र श्री मगन बिहारी आयु 48 वर्ष निवासी 71 ब्रज धाम, फेस–1, कमला नगर आगरा<br>2– श्री सुखराम सिंह पुत्र श्री शंकर लाल आयु 57 वर्ष निवासी 71 ब्रज धाम, फेस–1, कमला नगर आगरा |
| 6. | फर्म की समय–अवधि | – | एच्छिक |
| 7. | फर्म का अन्य विवरण | – | 1. यह है कि फर्म में सभी साझेदारी अपनी–अपनी व्यक्तिगत हैसियत उपरोक्त से फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं ।<br>2. यह है कि साझेदार एच.यू.एफ. के सदस्य नहीं हैं ।<br>3. यह है कि फर्म बिल्डिंग खरीदना, बेचना तथा बिल्डिंग का बनबाने का ठेका लेना व उन्हें बनबाना, बिल्डिंग मेटेरियल सप्लाई व निर्माण कार्य, आदि से सम्बन्धित कार्य करेगी।<br>4. यह है कि फर्म द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जो कि बैंकिग संशोधित अधि. 1984 व मनी सर्कुलेशन अधि. 1978 के अन्तर्गत वर्जित है । |

दिनांक – 02–9–2011

स्थान – आगरा

संदीप मिश्रा सुखराम

उपरोक्त कथन में कुछ भी असत्य नहीं हैं और न ही कुछ छिपाया गया है । इसका सत्यापन आज दिनांक 02–9–2011 को आगरा जनपद में किया गया ।

दिनांक – 02–9–2011

स्थान – आगरा

संदीप मिश्रा सुखराम

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 522069

27 AUG 2011

कोषागार, आगरा

## पार्टनर शिप डीड

यह पार्टनर शिप डीड आज दिनांक 02–09–2011 को निम्नलिखित व्यक्तियों के मध्य तैयार की गई –

(1) श्री संदीप मिश्रा पुत्र श्री मगन बिहारी आयु 48 वर्ष
निवासी – 71 ब्रज धाम फेस–1, कमला नगर, आगरा

प्रथम पक्ष – 50 प्रतिशत

(2) श्री सुखराम सिंह पुत्र श्री शंकरलाल आयु 57 वर्ष
निवासी – 71 ब्रज धाम फेस–1, कमला नगर, आगरा द्वितीय पक्ष – 50 प्रतिशत

जैसा कि उपरोक्त दोनों पक्ष फर्म के नाम मै0 रिद्धि–सिद्धि होम्स, 71 ब्रज धाम, फेस–1, कमला नगर आगरा व्यापार करने के लिये सहमत हैं। परन्तु सभी साझीदारों की आपसी सहमति से फर्म के मुख्य व्यवसाय को कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है।

जैसा कि उपरोक्त फर्म के मुख्य व्यवसाय की प्रकृति फर्म बिल्डिंग खरीदना, बेचना तथा बिल्डिंग का बनबाने का ठेका लेना व उन्हें बनबाना, बिल्डिंग मेटेरियल सप्लाई व निर्माण कार्य, आदि से सम्बन्धित कार्य करेगी ।

जैसा कि उपरोक्त दोनों पक्ष ऊपर लिखे करोबार करने की निम्नलिखित शर्तों के तहत आपसी सहमति व्यक्त की है जिसे कि प्रत्येक पक्ष को अपने अपने अधिकार एवं कर्तव्य ज्ञात रहे।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 465840

सुरेश कुमार
स्टा.वेण्डर
23 AUG 2011
कोषागार, बांदरा

– 2 –

1– यह कि साझेदारी फर्म का मै0 रिद्धि–सिद्धि होम्स, 71 ब्रज धाम, फेस–1, कमला नगर आगरा है।

2– यह कि फर्म बिल्डिंग खरीदना, बेचना तथा बिल्डिंग का बनबाने का ठेका लेना व उन्हें बनवाना, बिल्डिंग मेटेरियल सप्लाई व निर्माण कार्य, आदि से सम्बन्धित कार्य करेगी।

3– यह कि फर्म के उपरोक्त सभी कार्य – सभी पक्ष / सभी साझेदार अपनी आपसी सहमती से एक दूसरे की सलाह से करेंगे।

4– यह कि फर्म की समयाअवधि (कार्यकाल) साझेदारी की इच्छा पर निर्भर है।

5– यह कि फर्म का खाता किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में फर्म के नाम से खाता खोल कर जमा किया जायेगा । जिसका संचालन फर्म के दोनों पक्षों में से किसी एक के हस्ताक्षर द्वारा किये जायेगा।

6– यह कि फर्म की ओर से होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी फर्म के प्रथम पक्ष द्वारा अथवा उसक अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

7– यह कि फर्म का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तक होगा जिसमें फर्म की लाभ हानि निकाली जायेगी।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 465841

सुरेश कुमार
स्टाम्प विक्रेता
23 AUG 2011



यह कि फर्म के सभी साझेदार निम्न प्रतिशत के हिसाब से फर्म में पूँजी लगाने ब्याज प्राप्त करने एवं लाभ–हानि के साझेदार होंगे ।

1– श्री संदीप मिश्रा ( प्रथम पक्ष 50 प्रतिशत )

2– श्री सुखराम सिंह ( द्वितीय पक्ष 50 प्रतिशत )

9– यह कि फर्म की गुडविल सभी पक्षों के पास समान रूप से रहेगी।

10– यह कि फर्म का कोई साझेदार ऐसा कार्य नही करेगा जिससे फर्म को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई नुकसान हो।

11– यह कि फर्म किसी भी प्राईवेट व्यक्ति, संस्थानों, प्रतिष्ठानों, ठेकों आदि से ऋण अनुदान लेने व देने के लिये अधिकृत है जो सभी पक्षों की आपसी सहमती से होगा।

12– यह कि प्रत्येक भागीदार द्वारा फर्म मे लगाई गई पूँजी पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लेने का हकदार है यह ब्याज की दर आपसी पक्षों की सहमति से घटाई बढ़ाई जा सकती है।

13– यह कि फर्म से यदि कोई पक्ष अलग होना चाहता है तो उसकी सूचना के एक माह बाद फर्म की लाभ हानि निकाल कर उस पक्ष का पैरा न0–8 के अनुसार उसका हिसाब कर दिया जायेगा। फर्म का विघटन किसी भी दशा में न होगा बल्कि फर्म पूर्ववत कार्य करती रहेगी।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 247748



14– यह कि पार्टनर शिप डीड पर मध्यस्थता अधिनियम 1932 के प्रोवीजन भी लागू होंगे परन्तु सभी पक्ष निम्नलिखित के लिये अधिकृत हैं ।

अ– व्यापार में झगड़ा होने पर मध्यस्थ व्यक्ति के समझ ले जाने के लिये।

ब– फर्म के द्वारा वाद को वापिस लेने अथवा दावा करने के लिये एवं वाद को दाखिल करने के लिये।

स– फर्म के आधार पर क्लेम प्राप्त करने तथा क्लेम पर सुलहनामा करने के लिये ।

15– यह कि अन्य कोई बात जो कि इस पार्टनर शिप डीड (साझेदारी प्रपत्र) पर मध्यस्था अधिनियम के प्रोवीजन भी लागू होंगे।

यह कि पार्टनर शिप डीड आज दिनांक 02–09–2011 को हम सभी साझेदारों ने खूब सोच विचार कर यह पार्टनर शिप डीड लिख दी है जिससे की सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आये।

# फर्म निबन्धक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में

~~सर्वश्री~~ रिद्धि-सिद्धि होम्स, 71 ब्रजधाम, फेस-I कमलानगर आगरा।

के मामले में, मैं

एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि निम्नांकित लेख्य, 1932 के इंडियन पार्टनरशिप ऐक्ट संख्या 9 के उपबन्धों के अनुसरण में आज दिन यथाविधि निविष्ट और निबद्ध किये गये हैं।

फर्म के ब्योरों का विवरण–पत्र (फार्म नं० I)

मेरे हस्ताक्षर और मुहर से आज कि दिनांक 06 सितम्बर दो हजार ग्यारह 06.09.2011 को दिया गया।

फर्म निबन्धक
आगरा

शुल्क रु० 500/- 10367

संख्या 353/7 दिनांक 07/9/2011

श्री संदीप मिश्रा (साझेदार) मै० रिद्धि-सिद्धि होम्स, 71 ब्रजधाम फेस-1 कमलानगर आगरा।

को उनके पत्र–संख्या — दिनांक — के संदर्भ में प्रेषित।

फर्म निबन्धक,
उत्तर प्रदेश, आगरा